"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 अगस्त 2021 — श्रावण 11, शक 1943

### महिला एवं बाल विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2021

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50 (पार्ट बी). — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 2) की धारा 16 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, बोर्ड के समक्ष लंबित प्रकरणों की संख्या, लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और इसके कारणों के पुनर्विलोकन हेतु समिति गठित करती है. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | - | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग | - | सदस्य |
| 3. | सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग | - | सदस्य-सचिव |
| 4. | प्रतिनिधि - अमन सत्य काचरू ट्रस्ट, एलआईजी ई-30, शैलेन्द्र नगर, रायपुर | - | सदस्य |

2. समिति प्रत्येक छ: माह में बैठक करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 2) के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादन करेगी.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी.

No. F 7-5/2012/WCD/ 50 (part-B). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 16 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, constitutes the committee for the review of the number of pending cases, period of pending, nature of pending and its reasons before board. The committee shall consist the following members, namely :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hon'ble Executive Chairmen, C. G. State Legal Services Authority. | - | Chairman |
| 2. | Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Home Department | - | Member |
| 3. | Secretary, Government of Chhattisgarh, Women and Child Development Department. | - | Member,Secretary |
| 4. | Representative - Aman Satya Kachroo Trust, LIG E-30, Shailendra Nagar, Raipur | - | Member. |

2. The Committee Shall meet every six months and will execute the work as per the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016).

The Notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.